[illegible] का पेश हो/ हुकुम

20.09.2021 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिस पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध आक्षेप लगाकर यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.08.2021 को हो चुकी है। अन्य पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। अतः यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र प्रभावहीन हो गया है।

अतः यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

जिला कलक्टर
करौली